सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 860 राँची, शुक्रवार, 19 कार्तिक, 1938 (श०)

10 नवम्बर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 सितम्बर, 2017

कृपया पढ़ें:-

1. बिहार सरकार का संकल्प सं०-9410, दिनांक 4 नवम्बर, 1997
2. माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15 जून, 2017 को पारित न्यायादेश

संख्या- 5/आरोप-1-799/2014 का.-9939-- श्री चन्द्रदेव शर्मा, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-278/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मोरवा, समस्तीपुर, बिहार सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरूद्ध तत्कालीन बिहार सरकार के संकल्प सं०-9410, दिनांक 4 नवम्बर, 1997 द्वारा निन्दन का दण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ उनके निलंबन की अवधि दिनांक 24 जून, 1996 से 28 अक्टूबर, 1997 तक की अवधि में उनको निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई भी भुगतान नहीं करने संबंधी दण्ड अधिरोपित किया गया ।

2. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री शर्मा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड में याचिका W.P.(S) No. 2853/2008 चन्द्र देव शर्मा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य दायर की

गयी । उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15 जून, 2017 को आदेश पारित किया गया । न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है-

11. In the present case, since no opportunity of hearing as mandated under Rule 97 of Bihar Service Code was afforded to the petitioner by the respondent authorities before taking a decision to restrict his payment of salary for the suspension period only to the extent of payment of subsistence allowance, the impugned order contained in memo no. 9410 dated 4 November, 1997 cannot legally sustained and, therefore, the same is quashed and set aside. Consequently, the order passed in appeal dated 28 April, 2012 is also quashed. The respondents are directed to make payment of rest of the salary (i.e., minus subsistence allowance) to the petitioner within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order. The said payment shall carry interest @ 7% from the date of receipt of the order till the payment is made to the petitioner.

3. उक्त न्यायादेश के आलोक में तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-9410 दिनांक 4 नवम्बर, 1997 द्वारा संसूचित दण्ड निन्दन को निरस्त किया जाता है ।

श्री शर्मा के निलंबन अवधि दिनांक 24 जून, 1996 से 28 अक्टूबर, 1997 तक का अनुमान्य वेतन/भत्ता (जीवन निर्वाह भत्ता को घटाकर) का भुगतान का आदेश दिया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 860-50